न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनीयॉ आर.ए.एस

अपील सं0 2017 / 00018 (07 / 2017)

1. लालीकंवर पत्नी स्व0 श्री राजेन्द्र सिंह उम्र 39 वर्ष जाति राजपूत निवासी मानक टिब्बी तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ।
2. विपिन सिह उम्र 13 वर्ष
3. अनुराधा उम्र 12 वर्ष
4. रेखा उम्र 9 वर्ष

पुत्र व पुत्रियां स्व0 श्री राजेन्द्र सिह नाबालिगान जरिये कुदरती वली माता लालीकंवर पत्नी स्व0 राजेन्द्र सिंह उम्र 39 वर्ष जाति राजपूत निवासी मानकटिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमागनढ

–अपीलान्ट

बनाम

1. सुनीता पुत्री साहबसिंह पत्नी श्री भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी उत्तमदेसर तहसील लूणकरणसर, हाल आबाद बीकानेर, तहसील व जिला बीकानेर, (राजस्थान)
2. शकुन्तला पुत्री साहबसिह पत्नी श्री महेन्द्र सिह जाति राजपूत निवासी उत्तमदेसर तहसील लूणकरणसर, जिला बीकानेर, (राजस्थान)
3. मेनिका (पुत्री मीरा पुत्री साहब सिह) पुत्री श्री श्रवण सिह नाबालिग जरिये कुदरती वली पिता श्रवण सिह जाति राजपूत निवासी उत्तमदेसर, तहसील लूणकरणसर, जिला बीकानेर।
4. साहब सिंह पुत्र भंवरसिह जाति राजपूत निवासी मानक टिब्बी, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ।

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 15.07.2016 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी, प्र0 संख्या 514 / 2016 बअनवान सुनीता बनाम शकुन्तला आदि

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

श्री भवानी सिंह निर्वाण अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री विक्रमसिंह राठोड़ अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 4

निर्णय दिनांक – 12.12.2022

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायलाय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत एक वाद पेश कर कथन किया कि प्रतिवादीगण व वादिया एक ही परिवार के सदस्य हैं, आराजी चक नं. 5 के. एच.आर. जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 खाता संख्या 210/140 में प्रतिवादी संख्या 3 साहब साहबसिंह के नाम 1.189 है0 मय गैरमुमकिन आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त आराजी जद्दी जायदाद है जिसमें वादिया व प्रतिवादिया संख्या 1 व 2 का जन्म से अधिकार है तथा वादिया व प्रतिवादिया संख्या 1 व 2 का जन्म से अधिकार है तथा वादिया व प्रतिदिया संख्या 1 व 2 का उक्त भूमि में 0.683 है0 आराजी पर बहिस्सा बराबर बतौर मालिक खातेदार काबिज होकर काश्त कर रही है। मगर वादिया के हक व हिस्सा व कब्जा की भूमि वादिया के नाम दर्ज नहीं है, जिससे वादिया के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। वादिया ने प्रश्नगत भूमि के के वादिया व प्रतिवादीया संख्या 1 व 2 को 0.683 है0 की बहिस्सा बराबर आराजी की खातेदार काश्तकार घोषित करने काअनतोष मांगा। वादिया एवं प्रतिवादीगण ने राजीनामा पेश किया। विचारण न्यायलाय ने राजीनामा के आधार पर वादीया का वाद डिक्री किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्टा ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायलाय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री कतई गलत, विधि विरूद्ध, अनुचित व मनमाना एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है, जो रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 4 ने परस्पर दुर्भि संधी कर व पैतृक सम्पति में अपीलाण्ट के हकों पर कुठाराघत करते हुए हासिल की है जा अपास्त किये जाने योग्य। अपीलाण्ट के पति/पिता राजेन्द्रसिंह का दिनांक 11.11.2014 को स्वर्गवास हो चुका है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अनुसार स्व0 श्री राजेन्द्रसिह के समस्त वारिसान को पक्षकार नही बनाया है। रेस्पोडेण्ट संख्या 4 को अपने पिता से विरास्तन प्राप्त हुई है जिसमें उसकी पुत्रियों रेस्पोडेंट संख्या 1 , 3 व रेस्पोडेण्ट संख्या 2 की माता मीरा व अपीलाण्ट का पति व पिता राजेन्द्रसिंह बहिस्सा बराबर के हकदार हैं। राजेन्द्रसिंह के फौत होने के बाद उसके हक व हिस्सा की भूमि में अपीलाण्ट के हित हैं। अपीलाण्ट आवश्यक पक्षकार है। रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व 3 का का पता भी गलत दर्शाया गया है। अधीनस्थ न्यायलाय ने रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 3 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित कर विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है। अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान नही था ज्ञान होते ही अपील पेश कर दी है। अतः धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र एवं धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 4 ने अपनी बहस में कथन कियाकि विचारण न्यायालय में निर्णय व डिक्री राजीनामा के आधार पर पारित की गई है। विचारण न्यायालय का निर्णय एव डिक्री विधि सम्मत है। अपीलाण्ट प्रभावित पक्षकार नहीं है। अपीलाण्ट ने मिथ्या आधारों पर मियाद बाहर अपील पेश की है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया

6. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अपीलाण्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7. बहस में आये तथ्यों के अनुसार प्रश्नगत भूमि पैतृक भूमि है। प्रश्नगत भूमि साहबसिंह के नाम खातेदारी दर्ज है। अपीलांट के पिता/पति का नाम राजेन्द्र सिंह है जो साहबसिंह के पुत्र है, अधीनस्थ न्यायालय में राजेन्द्रसिंह के वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया है। जबकि प्रश्नगत भूमि पैतृक भूमि है एवं पैतृक भूमि होने के कारण राजेन्द्र सिंह का हक हिस्सा है एवं राजेन्द्रसिंह के हक हिस्सा होने कारण एवं अपीलाण्ट्स

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजेन्द्र सिह के वारिसान होने के कारण राजेन्द्र सिह के हक हिस्से की भूमि में अपीलाण्ट्स का भी हक हिस्सा है इसलिए अपीलाण्ट्स प्रभावित एवं पीड़ित पक्षकार है जिन्हें सुनवाई का अवसर दिया जउना उचित है। अपीलाण्ट्स को अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट्स के पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो यथावत रखे जाने योग्य नहीं है। अतः अपीलाण्ट्स का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलाण्ट्स आंशिक स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायलाय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2016 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.12.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/12/22

(करतारसिह पूनीयॉ)
आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)